हिन्दुस्त

तैयारी: उद्योगों के लिए 1% में बदलेगा भू-उपयोग

■ शैलेंद्र श्रीवास्तव

लखनऊ । राज्य सरकार शहरों में उद्योग लगाने या फिर उद्योग नीति के तहत अन्य योजनाएं शुरू करने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। कृषि की जमीन पर उद्योग लगाने के लिए भू-उपयोग बदलने पर लगने वाला शुल्क घटा कर सर्किल रेट का मात्र एक प्रतिशत करने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति में संशोधन करने की तैयारी है। इस संबंध में जल्द कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराया जाएगा।

राज्य सरकार शहरी सीमा से सटे क्षेत्रों को औद्योगिक हब बनाकर रोजगार की राह खोलना चाहती है। निवेशकों को इसके आसपास जमीन लेने की सुविधा है, लेकिन कृषि से औद्योगिक या अन्य में भू-उपयोग कराने के लिए अधिक शुल्क देना पड़ता है। औद्योगिक विकास विभाग चाहता है इस दर में कमी हो, जिससे निवेशकों को आसानी हो।

छूट देने का प्रस्ताव

प्रस्ताव के मुताबिक चेंज ऑफ लैंड यूज और वाह्य विकास प्रभार को कृषि से औद्योगिक करने पर सर्किल रेट का एक प्रतिशत और संस्थागत करने पर दो फीसदी किया जाएगा। कृषि से वाणिज्यक प्रयोग के लिए सर्किल रेट का दो से तीन फीसदी करने का प्रस्ताव है। इन स्थानों पर विकासकर्ता को स्वयं विकास कराना होगा।